

अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मावली, जिला—उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S
मुकदमा नम्बर : 37/21 (वाद)
जीसीएमएस : 2021/73

उनवान

1. श्रीमती शान्ताबाई पत्नी कैलाशचन्द्र खटीक निवासी खरताणा तहसील मावली।

.....वादीया

बनाम

1. श्री भगवतीलाल पिता छोटूलाल यादव निवासी खरताणा तहसील मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का खरताणा तहसील. मावली।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादीया की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 19.02.2025 को रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मावली के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि मौजा खरताणा पटवार हल्का खरताणा तहसील मावली की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2077-80 के खाता सं. 309 पर दर्ज आराजीयात का बंटवाडा निम्नानुसार अन्तिम किया जाता है :-

क्र सं.	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	भगवतीलाल पिता छोटूलाल यादव सा. देह खातेदार हिस्सा पूर्ण	909/1	0.3021	—	—
	योग	किता-1	0.3021	—	—
2	शान्ताबाई पत्नी कैलाशचन्द्र खटीक हिस्सा पूर्ण सा. देह खातेदार	909/2	0.1511	—	—
	योग	किता-1	0.1511	—	—
	कुल योग	किता-2	0.4532	—	—

नोट : विभाजन प्रस्ताव में किस्म व लगान को अंकित नहीं किया गया। अतः तहसीलदार मावली को निर्देशित किया जाता है कि अंतिम डिक्री की पालना करते समय जमाबन्दी अनुसार किस्म व लगान को भी पृथक-पृथक दर्ज की जावें।

उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यह आज तारीख 19.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

